

अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

पत्रांक...../

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक

विषय :- बिहार कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों में उपयोग करने हेतु सम्परिवर्तन स्वीकृति के उपरान्त 10 गुना शेष लगान वसूली के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि एम0पी0कॉलेज,एजुकेशन वास्ते सचिव इफतेखार अमहमद रहमानी,पिता फारुख अहमद, चॉदनी चौक,मौजा, पड़रिया,प्रखंड+जिला मधेपुरा थाना नं0-193, खाता नं0-11,1142,193 खेसरा-1936,1937,1935,1934 रकवा-0.64.441 डीसमिल भूमि पर बिहार कृषि अधिनियम की धारा-4(2) के आलोक में उक्त रकवा का सम्परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है।

अनुरोध है कि बिहार कारतकार अधिनियम 1885 के तहत प्रश्नगत भूमि जिसका सम्परिवर्तन की अनुमति प्रदान किया गया है, सम्परिवर्तन के उपरान्त उक्त रकवा का दस गुणा शेष लगान आवेदक से नियमानुसार वसूल की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,

मधेपुरा
30/4/18

ज्ञापांक 670-2 / दिनांक 30-4-2018

प्रतिलिपि - एम0 पी0 कॉलेज ,ऑफ एजुकेशन,वास्त सचिव इफतेखार अहमद रहमानी पिता फारुख महमद,चॉदनी चौक,मौजा पड़रिया, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि मौजा श्रीपुर चकला, जिला- मधेपुरा उक्त रकवा का सम्परिवर्तन के उपरान्त 10 गुणा शेष लगान अंचल अधिकारी, मधेपुरा से सम्पर्क कर अपना लगान रसीद अद्यतन करा लें।

अनुमंडल पदाधिकारी,

मधेपुरा
30/4/18 30/4/18

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत धारा 3 उप धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तन की अनुमति का प्रमाण पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम 2010 की धारा-3 उपधारा (6)/ अथवा उपधारा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत निम्नलिखित भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्पत्तिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है। भूमि की विवरणी :-

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	हैचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व धाना सं०	खता सं०	खेसरा सं०	गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त किया जाने वाला रकबा	चौहदती	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	सम्पत्तिवर्तन के उपरान्त देय वार्षिक लगाम/ सेस
मधेपुरा	मधेपुरा	मधेपुरा	रामोपी कालेज ऑफ एजुकेशन, वाले एरिय इफ तेरवार अहमद रहमानी	पड़िया	193	11 11 42 193	1936 1937 1935 1934	0-64.44151	पुरव- लाल कृष्णदास पश्चिम- सुब्रह्मण्य उत्तर- शम्भू अजय दूर- N.H.102	महा- विद्यालय निर्माण (रामोपी कालेज)	10 (रु०) शुणा

स्वार्थक सिर्फ 2 दिनोंक 20-1-2018
प्रतिनिधि, रामोपी कालेज ऑफ एजुकेशन वाले एरिय इफ तेरवार अहमद रहमानी बिहार कास्ट्रल अफिस, चौदानी-भीरु, मधेपुरा, पड़िया प्र० जिला, मधेपुरा को सूचना दी जाय।
प्रतिनिधि, अंचल अफिसकार, मधेपुरा को सूचना दी जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा।

अनुमंडल पदाधिकारी
मधेपुरा।
शुणा
20/1/18

कार्यक्रम, अन्तर्गत आदेश, 1937

प्रमाण पत्र


प्रमाण पत्र सं 358-1 दिनांक 6-6-11

प्रोद्युक्त कृष्णेश्वर चौदरी चौक मौजा पड़रिया
 द्वारा स्वामीय आदेश पर का लकड़ियों
 वाजंज्य करपारी एवं प्रत्यक्ष विवेक से
 जो न करवायी गई। जिनके अन्तर्गत
 के आदेश पर प्रमाणित किया गया
 है कि मौजा पड़रिया में निम्नलिखित
 रकमा, रकमा एवं रुकका श्री समीर पर
 वत्तमान में सम. जी. को लकड़ प्रोद्युक्त
 मौजा पड़रिया चौदरी चौक के नजदीक
 प्रकल्पित है तथा निम्न वर्णित जमीन
 वत्तमान में श्री वत्तमान के आदेश
 के लकड़ प्रोद्युक्त कृष्णेश्वर चौदरी चौक के
 नाम से दर्ज है।

अतः निम्नलिखित प्रमाण पर
 शिष्टा संस्था संयामन श्री प्रमाणित प्रदान
 की जाती है।

अर्थात् निम्न

मौजा पड़रिया	वर्ष	रकमा	रुकका
193	11-	1936	0.64
	11-	1937	
	193-	1934	(सो. को. लकड़)
	42-	1935	



Shashi Bhushan
 Notary
 REGD. NO. 1072 J
 DISTT - MADHEPURA



Countersigned
 7.6.11

D.D.C. Cum. C.E.O.
 D.R.D.A. Madhepura

Handwritten signature and notes.